परिपत्र संख्या 34/10

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(65)जन/10/ 18998 दिनांकः 22/10/2010

परिपत्र

विषयः दस्तावेज पंजीयन के समय निष्पादक/प्रस्तुतकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में।

विभागीय मुद्रांक एवं पंजीयन मार्गदर्शिका 2009 के परिपत्र संख्या 9/09 के बिन्दु संख्या-8 एवं विभागीय परिपत्र संख्या एफ-7(39)जन/09/12737-13186 दिनांक 4.11.09 के द्वारा दस्तावेज निष्पादकों द्वारा दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रस्तुत करते समय निष्पादक/प्रस्तुतकर्ता की पहचान के लिए पंजीयन अधिकारी द्वारा फोटोयुक्त राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट में से किसी भी एक दस्तावेज के आधार पर पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

आमजन की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए उक्त दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत फोटोयुक्त पैनकार्ड, फोटोयुक्त बैंक पास बुक्स जो कि बैंक प्रबन्धक के द्वारा फोटो सहित प्रमाणित हो, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, लोक संस्थान/कम्पनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, फोटोयुक्त बी.पी.एल.कार्ड, फोटोयुक्त मनरेगा कार्ड, भारतीय सेना द्वारा जारी सैनिकों को फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्रमशः पंजीयक/प्राचार्य द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र अनुज्ञा-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति-मूल निवास प्रमाण-पत्र को भी पंजीयन अधिकारी के द्वारा दस्तावेज पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता तथा प्रस्तुतकर्ता की पहचान के लिए स्वीकार किया जावे, किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि इन सभी प्रमाण-पत्रों में चस्पा फोटो संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए तथा इसकी प्रति अभिलेख के साथ रखी जावे।

22/10

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(65)जन/10/ 18999-19448 दिनांकः 22/10/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

22/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
अजमेर